

संक्षिप्त पर्यावरण समाधात निर्धारण रिपोर्ट

स्टील प्लांट का विस्तार

**ग्राम - तराईमल, तहसील-घरघोड़ा
जिला - रायगढ़ (छत्तीसगढ़)**

**प्रोजेक्ट प्रमोटर
नलवा स्टील एंव पावर लिमिटेड
रायगढ़, छत्तीसगढ़
सितम्बर 2009**

अन्तर्वस्तु

विषय	पेज संख्या
1. परियोजना वर्णन	3
2. पर्यावरण विवरण	5
3. अनुमानित पर्यावरणीय समाधात और न्यूनीकरण उपाय	7
4. पर्यावरण प्रबोधन योजना	9
5. अतिरिक्त अध्ययन	10
6. परियोजना के फायदे	11
7. पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना	11

1. परियोजना वर्णन

1.1 भूमिका:- मैसर्स नलवा स्टील एवं पावर लि० (NSPL) स्पांज आयरन पर आधारित स्टील प्लान्ट का संचालन ग्राम तराइमल जिला-रायगढ़ छत्तीसगढ़ में कर रहा है। NSPL ने इस स्टील प्लान्ट को विस्तार करने का विचार किया है। प्रस्तावित परियोजना में स्पांज आयरन, ब्लास्ट फर्नेस, स्टील निर्माण, रोलिंग एंव सिन्टर प्लांट सम्मिलित है। विद्युत उत्पादन के लिए waste heat एंव DRI चार का उपयोग किया जायेगा।

प्रस्तावित गतिविधियाँ इ. आई. ए. नोटिफिकेशन 14-9-2006 के प्रवर्ग ए क्रमांक 3 (a) के अधीन आती है। पर्यावरणीय समाधात निर्धारण अध्ययन के लिए पर्यावरण एंव वन मत्रांलय (भारत सरकार) द्वारा 12 मार्च 2008 को पत्र संख्या J.11011/1108/2007-IA,II(I) में परियोजना का कृत्य (Term of Reference) जारी किया है।

1.2 परियोजना की लागत:- इस परियोजना की लागत 1325 करोड़ रु. है।

1.3 भूमि की आवश्यकता:- विस्तार परियोजना के लिए 91 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जायेगा। यह भूमि वन रहित है।

1.4 जल की आवश्यकता:- परियोजना के लिए 800 कि. ली. प्रति घण्टा (19200 कि. ली. प्रति दिन) जल की आवश्यकता होगी, जिसकी आपूर्ति महानदी से की जायेगी। पानी महानदी से इकाई तक पाइप लाइन द्वारा लाया जायेगा। पाइप लाइन सड़क मार्ग के साथ-साथ लायी जाएगी।

1.5 कच्चा माल:- कोयला, कर्वाटजाइट, चूनापत्थर एंव डोलोमाइट का परिवहन सड़क मार्ग द्वारा किया जायेगा। लौह अयस्क का परिवहन रायगढ़ से तराइमल तक सड़क मार्ग द्वारा किया जायेगा।

1.6 प्रस्तावित इकाईयाँ एंव प्रक्रिया विवरण:- विद्यमान प्रस्तावित इकाईयों के नाम, उत्पादन क्षमता और प्रक्रिया वर्णन निम्नलिखित है।

क्र. स.	विद्यमान इकाईयों के नाम	प्रस्तावित विस्तार इकाईयों के नाम
1	स्पांज आयरन उत्पादन के लिए 6×100 टन प्रतिदिन क्षमता की DRI रोटरी किलन् (198000 टन प्रतिवर्ष)	स्पांज आयरन उत्पादन के लिए 2×500 टन प्रतिदिन क्षमता की DRI रोटरी किलन् (330000 टन प्रतिवर्ष)

2	16 मेगावाट कैप्टिव पावर प्लांट (WHRB पर आधरित DRI किलन् से वेस्ट हीट का उपयोग)	25 मेगावाट कैप्टिव पावर प्लांट (WHRB पर आधरित DRI किलन् से वेस्ट हीट का उपयोग)
3	8 मेगावाट कैप्टिव पावर प्लांट (AFBC पर आधरित DRI चार एंव मिडलिंग का उपयोग)	51 मेगावाट कैप्टिव पावर प्लांट (AFBC पर आधरित DRI चार एंव मिडलिंग का उपयोग)
4	स्टील मेकिंग शॉप (140000 टन प्रतिवर्ष) 4x12 टन इन्डक्शन फर्नेस 1x26 लेडल रिफाइनिंग फर्नेस 1x3 स्ट्रेण्ड बिलेट कास्टर	स्टील मेकिंग शॉप (50 टन इलेविट्रिक आर्क फर्नेस) 50 टन लेडल रिफाइनिंग फर्नेस 1x3 स्ट्रेण्ड कन्ट्रनुअस बिलेट कास्टर (336000 टन प्रतिवर्ष)
5	रोलिंग मिल (250000 टन प्रतिवर्ष)	रोलिंग मिल (200000 टन प्रतिवर्ष)
6	प्रोड्युसर गैस प्लांट 12000 Nm ³ /hr.	--
7	ऑक्सीजन प्लांट 100 Nm ³ /hr.	--
8	कोल वाशरी 200 टन प्रति घंटा	--
9	-- --	सिन्टर प्लांट (408100 टन प्रतिवर्ष)
10	-- --	ब्लास्ट फर्नेस (318500 टन प्रतिवर्ष)

स्पांज आयरन प्लांट- चूरा किया हुआ कच्चा माल (लौह अयस्क, कोयला एंव डोलोमाइट) किल्न मे डाला जाता है। कोयला लौह अयस्क को गलाने एंव रिड्यूसिंग ऐजेन्ट का कार्य कर लौह अयस्क को स्पांज आयरन मे परिवर्तित कर देता है। स्पांज आयरन से अपशिष्ठों को मैग्नेटिक सैपरेटर द्वारा अलग कर लिया जाता है। स्पांज आयरन को स्टील मेल्टिंग शॉप मे उपयोग कर स्टील का निर्माण किया जाता है।

ब्लास्ट फर्नेस- ब्लास्ट फर्नेस एक लम्बरूप ताप सहनशील भट्टी है। जिसके उपरी हिस्से से सिन्टर, लौह अयस्क एंव कोयले को धीरे - धीरे फर्नेस के उपर से डाला जाता है। यह उपर आती हुई गर्म हवा के समर्पक मे आता है। कोक लौह अयस्क को गलाने एंव रिड्यूसिंग ऐजेन्ट का कार्य कर लौह अयस्क को आयरन मे परिवर्तित कर देता है। अशुद्धिया स्लैग मे परिवर्तित

हो जाती है। स्लैग व आयरन को नियमित अन्तराल पर अलग कर लिया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस गैस का रिहीटिंग स्टोव मे ईंधन के रूप मे उपयोग कर लिया जाता है। गलित लौह पदार्थ को पिंग आयरन मे बदल कर या स्टील मेलिंग शॉप मे भेजा जाता है।

स्टील मेलिंग शॉप - पिंग आयरन(गलित लौह), स्पांज आयरन, चूना एंव फरोएलाय को इलैक्ट्रिक आर्क फर्नेस मे डाला जाता है। पिंग आयरन, स्पांज आयरन, चूना एंव फरोएलाय फर्नेस मे उपस्थित आर्क के सम्पर्क मे आने पर स्टील में परिवर्तित हो जाता है। इस स्टील को लैडल रिफानिंग फर्नेस में शुद्ध किया जाता है। तरल स्टील को बिलेट के रूप मे परिवर्तित किया जाता है। स्लैग को Tap Hole द्वारा अलग कर लिया जाता है।

रोलिंग मिल- स्ट्रक्चरल मिल की सहायता से स्टील बिलेट से विभिन्न उत्पाद तैयार किए जाते हैं। ब्लास्ट फर्नेस गैस को रिहीटिंग फर्नेस मे ईंधन के रूप मे उपयोग कर लिया जाता है।

सिन्टर प्लांट- सिन्टरिंग प्रक्रिया मे स्टील इकाई से उत्सर्जित ठोस अपशिष्टो मे उपस्थित आयरन को पुनः प्राप्त कर लिया जाता है। लौह अयस्क चूर्ण एंव लौह युक्त धूल, चूना पत्थर एंव कोयला को मिक्स करके सिन्टरिंग फर्नेस मे नोड्युल में परिवर्तित किया जाता है। नोड्युल को सिन्टर मशीन में डाल कर सिन्टर बनाया जाता है।

विद्युत संयन्त्र - विद्युत संयन्त्र मे बायलर की सहायता से उच्च दाब की वाष्प को तैयार किया जाता है। इस उच्च दाब की वाष्प से टरबाईन को चला कर विद्युत उत्पन्न की जाती है। कोल मिडलिंग फाइब्स एंव DRI चार का AFBC बायलर मे ईंधन के रूप मे उपयोग किया जाता है। DRI किलन् Waste गैस का WHRB बॉयलर मे ईंधन के रूप मे उपयोग किया जाता है।

2. पर्यावरणीय विवरण

आधारभूत पर्यावरणीय आँकड़े दिसम्बर 2008 से फरवरी 2009 के दौरान एकत्रित किये गये। इन आँकड़ो का एकत्रीकरण पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय एंव केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देशो के तहत किया गया है। आधारभूत आँकड़े परियोजना स्थल के 10 किमी⁰ की परिधि मे लिए गये।

2.1 जलवायु एंव सूक्ष्म पर्यावरण:- मौसम सम्बन्धी आँकड़े एकत्रित करने के लिए NSPL परिसर मे मेट स्टेशन स्थापित किया गया। ऐतिहासिक मौसम से सम्बन्धी आँकड़े भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से लिये गये है। प्रभावी वायु दिशा उत्तर पश्चिम (NW) मे पायी गयी। औसत वायु गति 2.9 से 4.1 किमी. प्रति घंटा पायी गयी। दैनिक तापमान 13.3 से 31.6 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया गया। सापेक्षिक आद्रता 30 से 62 प्रतिशत के

बीच पायी गयी । अध्ययन क्षेत्र में वार्षिक वर्षा का औसत 1602 मिमी. है ।

2.2 अध्ययन क्षेत्र की वायु गुणवत्ता:- अध्ययन क्षेत्र मे धूल एंव धूल के महीन कण (SPM एंव RSPM), सल्फर डाईऑक्साइड एंव नाइट्रोजन डाईऑक्साइड के स्तर को आठ स्थानो पर मापा गया । अध्ययन क्षेत्र में धूल का औसत स्तर 105 से 182 माइक्रोग्राम/मी³ एवं महीन धूल कण का स्तर 40-62 माइक्रोग्राम/मी³ के अन्दर पाया गया । सल्फरडाई डाइऑक्साइड का स्तर 4.0-7.8 माइक्रोग्राम/मी³ एवं नाइट्रोजन डाईऑक्साइड का स्तर 9.0-15.2 माइक्रोग्राम/मी³ के अन्दर पाया गया । अध्ययन क्षेत्र के सभी जाँच स्थलो मे SPM-200, RSPM-100, SO₂ -80 एंव NO₂ -80 माइक्रोग्राम/मी³ का स्तर राष्ट्रीय आवासीय वायु गुणवत्ता के अन्दर पाया गया ।

2.3 अध्ययन क्षेत्र की धूनि गुणवत्ता:- परिवेशी धूनि गुणवत्ता का अध्ययन आठ स्थानो पर किया गया । अध्ययन क्षेत्र में औसत धूनि स्तर दिन के समय 46.2-53.6 डेसीबल एवं रात के समय 40.3-43.4 डेसीबल के बीच पाया गया । राष्ट्रीय धूनि गुणवत्ता स्तर जो कि रात में 45 डेसीबल एवं दिन में 55 डेसीबल के अन्दर पाया गया ।

2.4 अध्ययन क्षेत्र की जल गुणवत्ता:- सतही एंव भूमिगत जल के आठ - आठ नमूनों का रासायनिक एंव जैविक परीक्षण किया गया । भूमिगत जल एंव सतही जल मे किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं पाया गया । भूमिगत जल की गुणवत्ता अच्छी एंव पीने योग्य हैं । भूमिगत जल मे किसी प्रकार का धात्विक एंव जीवाणु जनित प्रदूषण नहीं पाया गया ।

2.5 अध्ययन क्षेत्र की मृदा गुणवत्ता:- अध्ययन क्षेत्र से आठ स्थानो पर मृदा गुणवत्ता जाँची गयी । मृदा मे कर्बनिक पदार्थ, नाईट्रोजन, पोटेशियम एंव फास्फोरस सामान्य मात्रा मे पाये गये । मृदा की पी. एच. एवं चालकता मानक सीमा में पायी गयी । अध्ययन क्षेत्र की मिट्टी बलुई-दोमट प्रकार की है ।

2.6 पारिस्थितिकी गुणवत्ता:- अध्ययन क्षेत्र के जगंलो में साल, साजा, तेंदु, महुआ, बीजा इत्यादि प्रजातिया पायी जाती है । अध्ययन क्षेत्र में मुख्य जंगली जानवर नेवला, पार्कूपाइन, कोबरा एंव जंगली बिल्ली प्रजातियां पायी जाती है । अध्ययन क्षेत्र में जन्तु एंव वनस्पति की कोई जाति विलुप्ति के कगार पर नहीं है ।

2.7 पर्यटन, ऐतिहासिक, वन्य जीव आभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान एंव पुरातत्वीय महत्व के स्थान :- प्रस्तावित इकाई की 10 किमी. के परिधीय क्षेत्र मे वनस्पति की कोई प्रजाति विलुप्ति के कगार पर नहीं है एंव कोई संवेदनशील

तत्रं जैसे जैव मण्डल रिंजव, राष्ट्रीय उद्यान, आभ्यारण, पुरातत्त्वीय महत्व के स्थान नहीं है। प्लांट के दक्षिण एंव पश्चिम दिशा की ओर जंगल है।

2.8 सामाजिक एंव आर्थिक स्थिति:- अध्ययन क्षेत्र घरघोडा तहसील एंव तमनार ब्लाक के अन्तर्गत आता है। तमनार ब्लाक कुल भूमि का 59.8% भाग शुद्ध बोया क्षेत्र, 10.8% आकृष्ट भूमि, 4.85% वन भूमि एंव शेष भूमि अन्य भू उपयोग के अन्तर्गत आती है। घरघोडा तहसील की कुल जनसंख्या 148903 है (District Statistics Hand Book 2007)। अध्ययन क्षेत्र के श्रमिक खेतीवाड़ी, वन उपज एंव औद्योगिक श्रम में कार्यरत है। अध्ययन क्षेत्र में रपांज आयरन प्लांट, इनडक्सन फर्नेस, रोलिंग मिल, फेरोएलाय प्लांट, ईट भट्टे, विद्युत संयन्त्र एंव अन्य छोटी-छोटी औद्योगिक इकाईयाँ विद्यमान हैं।

3. अनुमानित पर्यावरणीय समाधात और व्यूनीकरण उपाय

3.1 वायु गुणवत्ता - इस प्लांट से उत्पन्न होने वाला मुख्यतः प्रदूषक धूल है। सिन्टर प्लांट एंव DRI प्लांट से उत्सर्जित धूल को ई एस पी के उपयोग से नियंत्रित किया जायेगा जिससे उत्सर्जित धूल का स्तर 50 मीलीग्राम/घन मी. के अन्दर रहेगा। एस.एम.एस. से उत्सर्जित धूल का स्तर 50 मीलीग्राम/घन मी. के अन्दर रखने के लिए उच्च क्षमता वाले बैग फिल्टर (99.9%) का उपयोग किया जायेगा। ब्लास्ट फर्नेस से उत्सर्जित धूल को नियंत्रित करने के लिए वैन्चुरी रक्कबर एंव डर्ट कैचर का उपयोग किया जायेगा जिसका स्तर 10 मीलीग्राम/घन मी. तक रखा जाएगा। इकाई परिसर की सभी आन्तरिक सड़के पकड़ी बनायी जायेगी। सभी सड़कों की नियमित सफाई की जाएगी। स्टाक हाउस, Day बिन्स, मेटिरियल हेन्डलिंग क्षेत्र, कृशिगं, स्क्रीनिंग आदि क्षेत्रों से उत्सर्जित धूल का निर्मूलीकरण के लिए सक्षम, डकटिंग एंव बैग फिल्टर का उपयोग किया जायेगा। निर्माण काल के दौरान उत्सर्जित धूल को कम करने के लिए नियमित जल छिढ़काव किया जाएगा। गणितीय प्रतिमानों से यह सुनिश्चित होता है कि प्रस्तावित इकाई से धूल के महीन कण, सलफर डाईऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाईऑक्साइड की अधिकता आवासीय वायु गुणवत्ता मानकों के अन्दर रहेगी। परियोजना के उत्सर्जकों का प्रभाव दक्षिण-पूर्व दिशा में 1.5 से 2.5 किमी. तक होगा। आस पास की परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक सीमा में रहेगी जिससे अध्ययन क्षेत्र की पारिस्थितिकी एंव जन स्वास्थ्य पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा।

3.2 ध्वनि गुणवत्ता - निर्माण के दौरान वाहनों की आवाजाही, कच्चे माल और उत्पाद को लाने और ले जाने के दौरान होने वाली ध्वनि को कम करने के लिए नियमित व्यवस्था सारणी बनाई जायेगी। इकाई परिसर में आई.डी.फैन्स, एयर ब्लास्ट, टरबाईन पम्प, एयर कम्प्रेसर, ब्लोअर, मिल आपरेशन एंव रोटेटिंग मशीनें ध्वनि का मुख्य खोत होंगे। ये सभी क्रियाये बन्द शेडों के अन्दर सम्पन्न कराई जायेगी। शेडों को बनाने में ध्वनिरोधक तत्व का इस्तेमाल किया जायेगा ताकि परिवर्तित ध्वनि को कम किया जा सके। इकाई

मेरे उपयोग आने वाली सभी मशीनों की नियमित मरम्मत की जायेगी। हरियाली का विकास ध्वनि नियंत्रण मेरे सहायक होगा। अधिक ध्वनि वाले स्थानों पर कार्य करने वाले मजदूरों को ईयर प्लग दिये जायेगे। इन सभी उपायों को अपनाने से इकाई परिसर की सीमा मेरे ध्वनि का स्तर दिन मेरे 75 dB(A) एवं रात मेरे 70 dB(A) की राष्ट्रीय ध्वनि गुणवत्ता मानक सीमा में रहेगा।

3.3 जल गुणवत्ता - परियोजना के लिए 800 किली./घंटा जल की आवश्यकता होगी जिसकी आपूर्ति महानदी से की जायेगी। वर्षा जल संग्रहण स्ट्रक्चर बनाये जायेगे जो कि केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार होंगे। छतों से बहने वाले वर्षा जल का भू-जल मेरे संग्रहण किया जा सकेगा। प्लांट निर्माण कार्य के दौरान शैचालयों से निकलने वाले अपशिष्ठ जल को सेप्टिक टैंक मेरे लाया जायेगा। अतिरिक्त जल का उपयोग धूल निर्मूलीकरण मेरे किया जाएगा ब्लास्ट फर्नेस गैस किलिनिंग प्लांट से स्क्रब्ड जल को थिकनर तक ले जाया जाएगा एवं डस्ट स्क्रबिंग के लिए पूर्ण उपयोग किया जाएगा। कूलिंग टावर ब्लोडाउन से उत्सर्जित जल को धूल निर्मूलीकरण एवं स्लैग ग्रेनुलेशन में उपयोग किया जायेगा। घरेलू अपशिष्ठ जल को अपशिष्ठ जल उपचारित संयंत्र (एस. टी. पी.) में उपचारित करने के बाद बागवानी में पुनः उपयोग किया जायेगा। वर्षा जल के लिए अलग से नालियों का निर्माण किया जायेगा जिसमेरे सेडिमेन्टेशन पिट एवं ऑयल सेपरेटर बनाये जायेंगे। मानसून के दौरान वर्षा जल को नजदीकी नाले में निरत्राव किया जायेगा। स्पैट आयल एवं लुब्रीकेट को इमो में एकत्रित कर पर्यावरण विभाग द्वारा पंजीकृत पुर्न चक्रण कर्ता को भेज दिया जायेगा।

3.4 ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन- अधिकांश उत्सर्जित ठोस अपशिष्ठों को पुनः उपयोग कर लिया जायेगा। डी. आर. आई. प्लांट से निकलने वाले DRI चार को कोल फाइन्स एवं मिडलिंग के साथ मिलाकर पूर्ण उपयोग कर विद्युत उत्पन्न की जायेगी। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग को सीमेंट उद्योग को बेचा जायेगा। स्टील मेलटिंग स्लैग मेटल रिकवरी के लिए दिया जायगा। शेष स्लैग को सड़क निर्माण मेरे उपयोग किया जायेगा। धूल को सिन्टर प्लान्ट मेरे पुनः उपयोग किया जायेगा। स्पांज आयरन चार का उपयोग ए. एफ. बी. सी. बायलर मेरे किया जायेगा।

3.5 मृदा गुणवत्ता- इकाई क्षेत्र और इसके आस पास की मृदा बलुई दोमट है। इस मृदा की इनफिल्ट्रेशन दर सामान्य है। वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, ठोस अपशिष्ठों का पुनः उपयोग, अपशिष्ठ जल को उपचारित कर पुनः उपयोग जैसे उपायों से आस-पास के मृदा गुणवत्ता व कृषी उत्पादन पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़ेगा।

3.6 पारिस्थितिकी गुणवत्ता- इकाई परिसर से उत्सर्जित होने वाली धूल को स्क्रबर और बैग फिल्टर जैसे अत्याधुनिक धूल नियंत्रक उपकरणों के प्रयोग से कम किया जायेगा। ऊँची चिमनिया उत्सर्जित वायु प्रदूषको (फ्लयू गैस)

को इकाई परिसर के चारों ओर विस्तृत दायरे में फैलाने में सहायक होंगी । सभी वायु उत्सर्जकों का स्तर राष्ट्रीय मानक सीमा में होगा । इकाई से उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट जल एवं ठोस अपशिष्ट का पुनः उपयोग किया जायेगा । इकाई परिसर में उपलब्ध खुले स्थानों पर हरियाली करके हरित पट्टी का दायरा बढ़ाया जायेगा । ये सभी उपाय आस पास की पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने में सहायक होंगे ।

3.7 जन स्वास्थ्य- उचित पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम के उपाय को अपना कर वायु प्रदूषकों का स्तर राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता की सीमा में रखा जायेगा, अतः मानव स्वास्थ्य एवं वनस्पति पर इसका बहुत अल्प प्रभाव पड़ेगा । अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि इस क्षेत्र की वायु गुणवत्ता राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानक स्तर की सीमा में रहेगी । इकाई से उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग किया जायेगा । इकाई में हानिकारक रसायनों का उपयोग नहीं किया जायेगा । अतः इकाई संचालन से मानव स्वास्थ्य पर इसका नगण्य प्रभाव होगा ।

4. पर्यावरण प्रबोधन योजना:

4-1 पर्यावरण प्रबन्धन विभाग :- NSPL में विद्यमान पर्यावरण प्रबन्धन विभाग (ई एम डी) कार्यपालक निर्देशक अधिकारी के अधीन है । जिसमें सभी सुविद्याओं से परिपूर्ण पर्यावरणीय प्रयोगशाला स्थापित है जिसमें वैज्ञानिकों एवं इंजीनियरों की नियुक्ति की गयी है ।

4-2 पर्यावरण प्रबन्धन विभाग के क्रिया कलाप :- NSPL में विद्यमान पर्यावरण प्रबन्धन विभाग द्वारा निम्नलिखित क्रिया कलाप सम्पन्न कराये जाते हैं ।

1. चिमनी उत्सर्जन, फ्युजिटिव उत्सर्जन, एवं कार्यस्थलों में होने वाले उत्सर्जनों की नियमित प्रबोधन करना एवं किसी भी असामान्य स्थिति में प्रभावी उपाय करना ।
2. इकाई परिसर के अन्दर वायु गुणवत्ता की प्रभावी एवं अप्रभावी दिशा में इकाई के बाहर एवं अन्दर नियमित जाँच करना ।
3. पुर्न चक्रित जल, अपशिष्ट जल, भूमिगत जल एवं सतही जल की गुणवत्ता की नियमित जाँच करना ।
4. इकाई परिसर में मशीनों, उपकरणों एवं कार्य स्थलों के घनि के स्तर की नियमित जाँच करना ।

5. इकाई परिसर में हरित पट्टी का विकास एवं हरियाली के अन्य रूप जैसे बागीचों, पौधशालाओं एवं लॉन को विकसित करना ।
6. इकाई संचालन के दौरान उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा एवं गुणवत्ता की नियमित जाँच एवं इनके पूर्नउपयोग की योजना तैयार करना ।
7. वर्षा जल संग्रहण एवं जल संरक्षण के लिए ठोस योजना तैयार करना । इसके अतिरिक्त उपचारित जल के पुनः उपयोग की योजना बनाना ।

5. अतिरिक्त अध्ययन

5.1 जोखिम एंव रोकथाम के उपाय - डीजल एंव फर्नेस ऑयल को टैंकों में संग्रहित कर रखा जायेगा । इन टैंकों को चीफ कन्ट्रोलर आफ एक्सप्लोसिव के दिशा निर्देशों के तहत तैयार किया जायेगा । आवश्यक जोखिम रोकथाम के उपाय जैसे अग्निशामकों को अपनाया जायेगा । उत्तम डिजाइनों एंव दुर्घटना रोकथाम के उपायों को अपनाकर इकाई में होने वाली दुर्घटनाओं को कम किया जा सकेगा । दुर्घटनाओं के दौरान जनता के स्वास्थ एंव सुरक्षा के लिए आपातकालीन उत्तरदायी योजना बनाने में जिला प्रशासन के सलाह मसवरे को भी सम्मिलित किया जायेगा । खुदाई के दौरान निकाली गयी मृदा का भू-भराव में उपयोग किया जायेगा व परियोजना स्थल से किसी भी प्रकार के खनिज एंव निर्माण सामग्री का उत्पन्न नहीं किया जायेगा । यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व विद्यमान जल निकासी व्यवस्था में कोई परिवर्तन न हो इसके लिए उचित नालियों का निर्माण किया जायेगा । इस प्रकार के उपायों को अपनाने से होने वाले जोखिम न के बराबर होंगे ।

5.2 पूर्ण निवास:- परियोजना से प्रभावीत व्यक्तियों का पूर्ण निवास छल्तीसगढ सरकार के पूर्ण निवास नीती के तहत किया जायेगा । भूमि विहीन व्यक्तियों को आपसी समझौते के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी । निर्माण कार्य के दौरान पस्तावित इकाई में रोजगार के लिए भूमि विहीन व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी । उनकी योग्यता एंव अनुभव के आधार पर रोजगार प्रदान कराया जाएगा ।

6. परियोजना के लाभ

6.1 प्रत्यक्ष लाभ:- इस परियोजना के स्टील उत्पादन से देश को स्टील आपूर्ति में सहायता मिलेगी। यह परियोजना राज्य सरकार को अतिरिक्त राजस्व प्रदान करेगी। स्टील की वृद्धि से देश की पूरी आर्थिक एंव आघार-भूत सुविधाओं में उन्नति होगी। इस परियोजना से इकाई निर्माण के 36 महीनों में लिए 1000 स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। इकाई संचालन के दौरान 570 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होगा। कम्पनी में उपलब्ध सभी रोजगार के अवसरों में स्थानीय व्यक्तियों को वरीयता दी जायेगी।

6.2 अप्रत्यक्ष लाभ:- परियोजना के स्थापित होने से इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों जैसे यातायात, स्कूल, प्रशिक्षण संस्थान, वर्कशॉप, व्यापार, सिलाई, नाई, ड्रायवर, बढ़ई, प्लम्बर इत्यादि में भी स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

7. पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना

पर्यावरण प्रबन्धन विभाग (ई. एम. डी.) पर्यावरणीय प्रभावों के लिए प्रभावी योजना व कार्य ढाँचा स्थापित करेगा एंव उपयुक्त प्रबन्धन उपायों द्वारा पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। प्रदूषण रोकथाम एंव प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली के लिए 32 करोड रु० खर्च किये जायेंगे। पर्यावरण प्रबन्धन के लिए प्रति वर्ष लगभग 6.5 करोड रु० खर्च किये जायेंगे। पर्यावरण प्रबन्धन प्रणाली (ISO14000 Management System) पीरयोजना का विकास अन्तराष्ट्रीय स्तर तक करेगी। प्रदूषण नियंत्रण की जिम्मेदारी अनुभवी व वरिष्ठ कर्मचारियों पर होगी। पर्यावरण प्रबन्धन विभाग निर्माण काल के दौरान ठेकेदार द्वारा पर्यावरणीय प्रभाव के रोकथाम के लिए किये गये उपायों पर निगरानी रखेगा। NSPL ठेका देते समय सभी आवश्यक प्रावधनों/नियमों को ठेके (कान्फ्रेक्ट) के कागजात में उल्लेखित करेगा।

पर्यावरण प्रबन्धन विभाग सभी वायु प्रदूषण यंत्रो, अपशिष्ठ जल उपचारण संयंत्र एंव पुर्न चक्रित जल के उपयोग की योजना पर निगरानी रखेगा। ठेस अपशिष्ठ का पुनः उपयोग एंव निपटान के लिए निरंतर प्रयास करेगा। पर्यावरण प्रबन्धन विभाग ओजोन मित्र प्रशीतकों के प्रयोग को सुनिश्चित करेगा। पर्यावरण प्रबन्धन विभाग ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन दर को देखते हुए वातावरण को स्वच्छ रखने की उन्नत प्रणाली को बढ़ावा दिया है। पर्यावरण प्रबन्धन विभाग द्वारा परिसर के अन्दर और बाहर हरियाली का विकास किया जायेगा (33 % भूमि पर हरियाली का विकास सुनिश्चित किया जायेगा)। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देशों के तहत हरित पट्टी का विकास किया जायेगा तथा वन विभाग रायगढ़ से पौधों के चुनाव के लिए विचार विर्मश किया जायेगा।

चिकित्सा केन्द्र में समय-समय पर इकाई में कार्यरत् कर्मचारियों के स्वास्थ्य की नियमित जाँच की जायेगी । कर्मचारियों को स्वच्छ कार्य क्षेत्र एवं निजी सुरक्षा उपकरण दिये जायेंगे । । पर्यावरण प्रबंधन विभाग सुरक्षा विभाग के साथ मिल कर इकाई क्षेत्र में सभी जोखिम युक्त कार्यों की देखरेख करेगा । इकाई क्षेत्र में दुर्घटना की संभावना को कम करने के लिए सुरक्षा नियमों का पुर्णतः पालन किया जायेगा ।

नियमित जाँच (Audit) से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ई. एम. पी.) में दिये गये सुझावों एवं तरीकों का अनुपालन उचित प्रकार से हो रहा है । इसके लिए निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की जायेगी जोकि पर्यावरण प्रबंधन योजना के पुर्ण निरीक्षण का हिस्सा होगी । रिपोर्ट प्रणाली में पर्यावरण प्रबंधन विभाग के सभी तत्वों की जिम्मेदारी प्रबंधन योजनाए , ठेकेदारों का उत्तरदायित्व, प्रशिक्षण जागरूकता, पर्यावरणीय मुद्दों पर विचार एवं ई. एम. पी. में दिये गये दिशा-निर्देशों को लागू करना शामिल है । ई एम पी के लागू होने पर यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि पर्यावरणीय अनुबंधों के तहत परियोजना से होने वाले सभी पर्यावरणीय प्रभावों को कम किया जाये । इस परियोजना से होने वाले लाभकारी प्रभाव जैसे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर, बुनियादी सुविधाओं का विकास, ग्रामीण स्तर पर सामुदायिक विकास को बढ़ावा दिया जायेगा । परियोजना संचालन से निकटवर्ती क्षेत्रों के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार होगा ।

ठिप्पणी :- यह हिन्दी कार्यकारी सारांश अंग्रेजी का हिन्दी अनुवाद है । यदि अनुवाद में किसी प्रकार की त्रृटि पाई जाती है तब अंग्रेजी कार्यकारी सारांश को सही माना जाए ।

